जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा संचालित योजनाएं

योजना का नाम	विवरण
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	यह योजना वर्ष 1999–2000 से प्रारम्भ की गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन की स्थापना के उद्देश्य से विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था में गांव को विकास की इकाई माना गया है। ग्रामों में आर्थिक ढॉचे को मजबूत करना, स्थायी परिसम्पत्तियां सृजन करना, अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराना एवं ग्रामीण निर्धन बेरोजगारों को निरन्तर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का उद्देश्य है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में धन का आंवटन जनपद स्तर पर जिला ग्राम विकास अभिकरण को किया जाता है। ग्राम पंचायतों की अनुसूचित जाति एवं कुल जनसंख्या के आधार पर धन का विभाजन करके सम्पूर्ण धनराशि 15 दिन के अन्दर ग्राम पंचायतों के खाते में सीधे भेज दी जाती है। योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। योजना का अनुश्रवण, कर्मियों एवं शिकायतों के समाधान ग्राम पंचायत स्तर पर गठित सर्तकता समिति की बैठकों में किया जाता है। योजना में पारदर्शिता लाने हेतु ग्राम सभा की खुली बैठकों में प्राप्त धन एवं व्यय का व्यौरा रखा जाता हैं तथा विवरण नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किए जाते है।
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	यह योजना 01.04.1999 से प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना का उद्देश्य छोटे–छोटे उद्योंगों/उद्यमों के माध्यम् से गरीबी–रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों का 3 वर्षों में गरीबी–रेखा के ऊपर उठाना है। इस योजना के अन्तर्गत तीन वर्षो में प्रत्येक स्वरोजगारी परिवार को एक हजार रूपये प्रतिमाह की शुद्ध आय प्राप्त कराने का लक्ष्य है। योजनान्तर्गत गरीबी–रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीणों का समूह बनाया जाना हैं, जिसमें 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 40 प्रतिशत महिलायें एवं 3 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। इन समूहों को 6 माह तक छोटी–छोटी बचत करना, पारस्परिक लेन–देन करने एवं बैठकें आयोजित करने योग्य बनाया जाता है। इसके उपरान्त स्वयम् सहायता समूहों मूल्यांकन किया जाता है। जिसे प्रथम ग्रेडिंग कहते है। प्रथम ग्रेडिंग के योग्य पाये जाने पर इन्हे दस हजार रूपये का रिवाल्विंगकुण्ड जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा विकास खण्डों के माध्यम् से उपलब्ध काराया जाता है। बैंकों के द्वारा 15000 की अतिरिक्त धनराशि देकर 25000 की नकद साख सुविधा बैकों द्वारा प्रदान की जाती है। जिसका उपयोग समूह अपनी आय क्षमता में वृद्धि करने के लिए करते हैं।
इन्दिरा आवास योजना	इन्दिरा आवास योजना को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की एक उप योजना के रूप में वर्ष 1985–86 के दौरान शुरू किया गया जिसे अप्रैल 1989 में शुरू की गयी जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना के रूप में चलाया जा रहा है। इन्दिरा आवास योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मुक्त बंधुआ मजदूरी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गैर अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लभार्थियों की संख्या कुल लाभार्थियों की संख्या का 40 प्रतिशत से आधिक नही होनी चाहिए। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत चयन कार्यवाही के दौरान मारे गये रक्षा/अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों के विधवायें/परिवार व शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति एवं

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

	अनुसूचित/जनजाति जो बाढ़, आग, भूकम्प, चक्रवात तथा इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया जाता है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान सामान्यतः गांव की मुख्य बस्ती में निजि भूखण्डों पर बनवाया जाना चाहिए। **<u>इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्माण सहायता की अधिकतम सीमा</u>** • स्वच्छ शौचालय, धूमरहित चूल्हा सहित आवास हेतु रू0 500.00 • ढॉचागत और सामान्य सुविधाएँ प्रदान करने की लागत रू0 2500.00 निर्धारित की गयी है। उक्त के अतिरिक्त न रहने लायक मकानो की पक्का/अर्धपक्का मकानो में बदलने के लिए तथा उसमें स्वच्छ शौचालय व धुआरहित चूल्हों के लिए लाभार्थी को अधिकतम रू0 10,000 की सहायता दी जाती है। आवासों की ले आउट, आकार और डिजाईन की किस्म स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर होनी चाहिए। मकानों का कुल क्षेत्र कम से कम 20 वर्ग मीटर हो। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालय एवं धूमरहित चूल्हा का निर्माण अत्यधिक महत्व है। साथ ही साथ मकान के चारो तरफ वृक्षारोपड़ भी किया जाना चाहिए। लाभार्थियों को भुगतान की प्रक्रिया में उनके खाते में सीधे धन जमा कराया जाता है जिसमें एक मुश्त धनराशि का भुगतान नही किया जाता है।
प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास)	मानव जीवन के लिए आवास एक बुनियादी जरूरत है। सभी नागरिकों को न केवल आवास की जरूरत है, बल्कि उनको अपने घरों में पेयजल तथा उचित स्वच्छता जैसी सुविधाओं की भी जरूरत होती है। इस प्रयोजनार्थ ग्रामीण आवास के क्षेत्र में ''प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना'' के रूप में हाल ही में एक नई पहल की घोषणा की गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को लाभ पहुँचाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। • ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मन्त्रालय को सौंपी गयी है। यद्यपि मंत्रालय ''इन्दिरा आवास'' सहित कई योजनायें पहले से ही कार्यान्वित कर रहा है, फिर भी ग्रामीण आवास के क्षेत्र में कार्य की महत्ता को देखते हुए ऐसा अनुभव किया गया जाता है कि एक व्यापक योजना को लाकर इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को समर्थन देना आवश्यक है तथा इस व्यापक योजना का उद्‌देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए आवास की कमी को कम करना तथा इन क्षेत्रों में स्वस्थ्य पर्यावास विकास में मदद करना है। • प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना (ग्रामीण आवास) सामान्यतः ''इन्दिरा आवास योजना'' पैटर्न पर आधारित होगी तथा इसे पूरे देश में कार्यान्वित किया जाएगा। मकानों का आंवटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम होगा। विकल्पतः इसे पति एवं पत्नि दोनों के नाम आंवटित किया जा सकता है।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com